

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली


विधायक का नाम : श्री जितेंद्र सिंह तोमर

दिनांक : 20.03.2018

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 50

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि डूडा को बंद कर दिया गया है;	शहरी विकास विभाग (एम.एल.ए. लैंड) जी नहीं। डूडा को बन्द नहीं किया गया, बल्कि एम.एल.ए. लैंड योजना के क्रियान्वयन का कार्य वापिस लेकर, 13.12.2017 से शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार को दे दिया गया है।
ख	यदि हाँ, तो क्या त्रि नगर विधान सभा क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों के लिए आबंटित फंड शहरी विकास विभाग को मिल चुका है;	शहरी विकास विभाग (एम.एल.ए. लैंड) वर्ष 2017-18 में त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्धारित राशि 4 करोड़ रुपये डूडा (उत्तर-पश्चिम) राजस्व विभाग को जारी की जा चुकी है। डूडा (उत्तर-पश्चिम) से बकाया राशि, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
ग	क्या शहरी विकास विभाग द्वारा विधायक निधि से किये जाने वाले कार्यों की बुकिंग शुरू हो चुकी है; और	शहरी विकास विभाग (एम.एल.ए. लैंड) जी हाँ।
घ	यदि हाँ, तो संबंधित अधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर क्या है?	शहरी विकास विभाग (एम.एल.ए. लैंड) श्री अशोक कुमार, संयुक्त निदेशक (011-23392217)


 Dy. Secy. (Urban Development)
 Secy. of NCT of Delhi
 Delhi Secretariat